भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001

फा0सं0 रा0भा0 3(3)/2014–हिन्दी

दिनांक : 6 अगस्त, 2014

सेवा में,

भा.कृ.अनु.प. के अधीनस्थ सभी संस्थानों/निदेशालयों/ब्यूरो/केन्द्रों के निदेशक

विषय :– गणेश शंकर विद्यार्थी हिन्दी पत्रिका पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रविष्टियां भेजने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान हिन्दी में प्रकाशित पत्रिकाओं में से उत्कृष्ट पत्रिकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। इसी क्रम में वर्ष 2013–14 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पिछले वित्तीय वर्ष **(अर्थात 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014)** के दौरान प्रकाशित पत्रिकाओं की पांच–पांच प्रतियां **दिनांक 20 सितम्बर, 2014** तक परिषद मुख्यालय को भिजवाने की कृपा करें। इस योजना की नियमावली और मूल्यांकन मानदण्ड की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जा रही है।

संलग्नक : उपर्युक्त वर्णित

भवदीय

(हरीश चन्द्र जोशी) 6.8.14
निदेशक (रा0भा0)

letter

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन आने वाले विभिन्न संस्थानों/निदेशालयों/केन्द्रों/ब्यूरो द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाओं/गृह पत्रिकाओं को पुरस्कार देने हेतु नियमावली

पुरस्कार का नाम

1. परिषद के विभिन्न संस्थानों/निदेशालयों/केन्द्रों/ब्यूरो आदि में हिन्दी में प्रकाशित पत्रिकाओं/गृह पत्रिकाओं को पुरस्कृत करने से संबंधित इस पुरस्कार का नाम **"गणेश शंकर विद्यार्थी हिन्दी पत्रिका पुरस्कार"** है।

पुरस्कार किसकी ओर से दिया जाएगा

2. यह पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है।

पुरस्कार का स्वरूप

3. अब तक यह पुरस्कार परिषद के संस्थानों द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में प्रकाशित हिन्दी प्रकाशनों के लिए दिया जाता था। परन्तु वर्ष 2013 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हिन्दी में प्रकाशित पत्रिकाओं/गृह पत्रिकाओं के लिए दिया जा रहा है। इसमें प्रथम व द्वितीय पुरस्कार तथा विशेष प्रोत्साहन के रूप क्रमशः एक–एक शील्ड/ट्राफी व प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाते हैं।

पुरस्कार का उद्देश्य

4. इस पुरस्कार का उद्देश्य परिषद के विभिन्न संस्थानों द्वारा हिन्दी में प्रकाशित/गृह पत्रिकाओं में परस्पर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा लाकर उनमें उत्कृष्टता लाना है।

पुरस्कार संबंधी प्रशासकीय व्यवस्था

5. पुरस्कार के चयन संबंधी नियम निर्धारित करने और पुरस्कार प्राप्तकर्ता/कर्ताओं के चयन का सम्पूर्ण अधिकार परिषद का है।
6. इन पुरस्कारों पर होने वाले व्यय प्रतिवर्ष मुख्यालय के स्वीकृत बजट से वहन किया जाता है।

पुरस्कार के लिए पात्रता

7. यह पुरस्कार व्यक्तिगत न होकर संस्थान स्तर पर दिया जाता है। परिषद के अधीनस्थ वे सभी संस्थान/निदेशालय/ब्यूरो/केन्द्र आदि इस योजना में भाग ले सकते हैं जो अपने स्तर पर वित्तीय वर्ष के दौरान हिन्दी में कोई पत्रिका/गृह पत्रिका का एक या इसमें अधिक अंक प्रकाशित करते हैं।

8. पुरस्कार के लिए चयन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान हिन्दी में प्रकाशित पत्रिका/गृह पत्रिकाओं में से किया जाता है। पुरस्कार हेतु चयन की प्रक्रिया प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद शुरू की जाती है।

पुरस्कार के लिए चयन की क्रियाविधि

9. पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए परिषद की ओर से संस्थानों आदि को सूचना भेजी जाती है।
10. सभी संस्थानों आदि को प्रविष्टि सूचना पत्र में इंगित तारीख तक निदेशक (रा0भा0) के नाम परिषद के पते पर भेजनी होती है।
11. मूल्यांकन समिति द्वारा निर्णय किए जाने के पश्चात् पुरस्कार की सूचना संबंधित कार्यालय को दी जाती है।
12. यदि किसी वर्ष उपरोक्त वर्गों के लिए पुरस्कार के योग्य प्रविष्टि/प्रविष्टियां प्राप्त नहीं होती हैं तो उस वर्ष संबंधित वर्ग के लिए पुरस्कार की घोषणा नहीं की जाएगी।
13. मूल्यांकन समिति की संस्तुति के बाद ही महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पुरस्कार स्वीकृत किया जाता है और इसकी घोषणा सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नामित अधिकारी द्वारा की जाती है।
14. यह पुरस्कार वर्ष 2013 से संस्थानों के निदेशकों की बैठक में प्रदान किया जाता है।

मूल्यांकन समिति

15. सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नामित अधिकारी/विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष होता है तथा निदेशक (रा0भा0) सदस्य सचिव होते हैं।
16. समिति के अध्यक्ष और कम से कम दो सदस्य होंगे जिनकी संख्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुमति से बढ़ाई जा सकती है।

मूल्यांकन समिति का सदस्य सचिव

(क) समिति के अध्यक्ष व प्रत्येक सदस्य को मूल्यांकन प्रोफार्मा की एक–एक प्रति भेजी जाती है।

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि समिति के अध्यक्ष व सदस्य संलग्न मानदंडों (अनुबंध–I) के आधार पर अलग–अलग पत्रिका/गृह पत्रिकाओं का मूल्यांकन करें।

(ग) यह देखेगा कि मूल्यांकन समिति की बैठक बुलाई जाए जिसमें सदस्यों द्वारा प्रदत्त संस्तुतियों के आधार पुरस्कार के लिए अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

(घ) मूल्यांकन समिति के सदस्य/सदस्यों को प्रविष्टि के विषय में यदि कोई विशेष जानकारी चाहिए तो वह उसे संबंधित संस्थान आदि से लेकर उपलब्ध कराएगा।

(ड) पुरस्कार प्राप्तकर्ता के चयन के लिए निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार चुने गए पुरस्कार विजेता के नाम की घोषणा के लिए परिपत्र जारी करेगा।

letter

मूल्यांकन के लिए मानदण्ड

मुद्रण	*	समय पर प्रकाशन
	*	रिपोर्ट की साज–सज्जा ; चित्रों, तालिकाओं, पत्रों इत्यादि का आकार
	*	आवरण पृष्ठ सहित समग्र रूप से प्रस्तुतीकरण
	*	पत्रिका / गृह पत्रिका के माध्यम से संस्थान की पहचान
विषयसूची की प्रकृति	*	फार्मेट के अनुसार उपयुक्त क्रम में पूर्ण विवरण
	*	बिना पुनरावृत्ति के समस्याओं के समाधान से संबंधित अनुसंधान उपलब्धियां ; अधिदेश के अनुसार अनुसंधान कार्यसूची
	*	अनुसंधान नियोजन की वैज्ञानिकता
	*	स्पष्ट परिणाम
	*	यदि कार्य को जारी रखा गया है तो पिछले वर्ष के कार्य का संदर्भ
	*	अनिष्कर्षपूर्ण परिणाम सामने आने पर भावी योजना / कार्यक्रम का संकेत
	*	उपयुक्त चित्र एवं तालिकाएं
	*	विषय / कार्यक्रमवार प्रस्तुति ; अन्तर्विषयी संबंध
विषयों की गुणवत्ता	*	मौलिकता, नवीनता, सृजनात्मकता
	*	प्रौद्योगिकी / किस्म सुधार
	*	वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि
	*	अनुसंधान / शिक्षण / विस्तार कार्य में उत्कृष्टता – पुरस्कार, सम्मान, मान्यता इत्यादि
	*	अनुसंधान लेखों इत्यादि का प्रकाशन
सम्पादन	*	व्याकरण, वर्ण विन्यास, भाषा की गुणवत्ता
	*	भाषा प्रवाह, सामंजस्यता, पठनीयता
	*	संक्षिप्तता, सारगर्भिता, शुद्धता
	*	अभिव्यक्ति में सुस्पष्टता, उपयुक्त तकनीकी शब्दावली का प्रयोग
	*	उपयुक्त शीर्षक, उप–शीर्षक व उनके "फोटो" का आकार
प्रभावशीलता	*	अनुसंधान उपलब्धियों का व्यावहारिक प्रयोग
	*	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं इसे कितने क्षेत्र में अपनाया गया
	*	कृषि उत्पादन में योगदान
	*	मानव संसाधन विकास (प्रशिक्षण, शिक्षण, कार्यशालाएं, सेमिनार, सम्मेलन, सामूहिक बैठकें, संगोष्ठियों इत्यादि में वैज्ञानिकों का योगदान)
	*	विशिष्ट ढांचागत सुविधाओं का विकास
	*	संस्थानगत, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग
	*	परामर्शदात्री सेवाओं की मांग / प्रतिक्रियाएं ।